प्रेषिका,

अनुजया कृष्णा
अपर सिविल जज (जू० डि०)
कोर्ट संख्या 47, बाराबंकी।

सेवा में,

माननीय निबंधक महोदय (न्यायिक) (बजट),
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा- माननीय जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी

विषय: पत्रांक संख्या 7419/IV Admin A दिनांकित 25/03/2013 के अनुसरण में उ.प्र. न्यायिक सेवा में चयनित विधि परास्नातक उपाधि धारकों को तीन अग्रिम वेतनमान दिए जाने के लिए सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि, मैंने एकवर्षीय परास्नातक यूरोपा कॉलेज हैम्बर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ़ हैम्बर्ग (जर्मनी) से सन् 2015 में पूर्ण किया है। इसकी डिग्री दिनांक 29/07/2015 को प्राप्त की जिसके वांछित प्रमाण पत्र आपकी कृपा दृष्टि के लिए संलग्न हैं।

उ.प्र. लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की संस्तुति पर महामहिम राज्यपाल (उ.प्र.) ने दिनांक 11/10/2019 को मेरा चयन/नियुक्ति पत्र जारी किया है।

माननीय महोदय मैंने महामहिम राज्यपाल (उ.प्र.) के द्वारा दिनांक 11/10/2019 चयन/नियुक्ति के पूर्व ही विधि परास्नातक उपाधि प्राप्त कर ली थी।

अतः माननीय विनम्र निवेदन है कि मुझे तीन अग्रिम वेतनमान स्वीकृत करने का आदेश करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

सादर।

दिनांक 30/07/2020

भवदीया,

Anujaya

(अनुजया कृष्णा)
अपर सिविल जज (जू० डि०)
कोर्ट संख्या- 47, बाराबंकी

No. 1083/I Dated 31.07.2020
FORWARDED
31.7.2020
DISTRICT JUDGE
BARABANKI

संलग्नक:

1 – विधि परस्नातक मार्कशीट की प्रमाणित प्रति।

2 – विधि परस्नातक मार्कशीट के अंकों की भारतीय अंकों में रूपांतरण तालिका की प्रमाणित प्रति।

3 – विधि परस्नातक डिग्री की प्रमाणित प्रति।

4 – विधि परस्नातक डिग्री को बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया द्वारा निर्गत समतुल्यता पत्र की प्रमाणित प्रति।

5 – महामहिम राज्यपाल (उ.प्र.) द्वारा निर्गत चयन/ नियुक्ति पत्र की प्रमाणित प्रति।

6 – कार्य भार ग्रहण प्रमाण पत्र की छाया प्रति।